14

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 12(7)कार्मिक/क–2/2014 जयपुर, दिनांक 22 JUN 2015

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

22/6/2015

परिपत्र

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को राज्य में लागू करने का उद्देश्य मृत राजसेवकों के आश्रितों को राज्य सेवा में शीघ्र से शीघ्र नियुक्त कर, संकट की घड़ी में सहारा प्रदान करना है, ताकि परिवार के सामने आजीविका का आसन्न संकट न रहे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सेवा नियमों में नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होते हुए भी, कुछ आश्रितों के अनुरोध पर, 16 वर्ष की आयु के उपरान्त पात्र घोषित करने हेतु, उन्हें न्यूनतम आयु (18 वर्ष) के प्रावधान में शिथिलता भी प्रदान की जाती है।

उक्त प्रयोजनार्थ जो प्रकरण कार्मिक विभाग को प्राप्त हो रहे हैं, उनके विश्लेषण पर यह पाया गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा ऐसे प्रकरण भी न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलता हेतु प्रेषित कर दिए जाते हैं, जिनमें आवेदक या तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होता है, अथवा निकट भविष्य में प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा करने से नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब ही होता है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु यदि कोई आश्रित 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व किन्तु 16 वर्ष की आयु प्राप्ति उपरान्त आवेदन कर देता है, तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद नियुक्ति अधिकारी स्वयं के स्तर से नियुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम आयु में शिथिलता की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा आवेदक 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही नियुक्ति चाहता है तो उसका प्रकरण प्रशासनिक विभाग के माध्यम से इस विभाग को भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित अवश्य कर लेवे कि आवेदक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने में कम से कम चार माह का समय शेष हो। किन्तु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं होगा कि ऐसे मामलों को अनावश्यक लम्बित रखा जावे और इस प्रकार आश्रित की कठिनाइयों को और बढ़ाया जावे।

सभी नियुक्ति अधिकारियों से यह पुनः अपेक्षा की जाती है कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से करे। जिन मामलों में आवेदन अवधि में विलम्ब अथवा न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलन अपेक्षित हो, उन्हें भी यथाशीघ्र तैयार कर उचित माध्यम से इस विभाग को भेजा जावे, ताकि नियमों को लागू करने का राज्य सरकार का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो सके।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

31/2015

Asha ji//2015/Circular//2